

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

- District (जिला): STATE VIGILANCE BUREAU P.S. (थाना): SVB HISAR Year (वर्ष): 2022

FIR No. (प्र.सू. सं.): 0016 Date and Time of FIR (प्र.सू. की दिनांक और समय): 07/07/2022 14:19 hrs
- | S.No. (क्र.सं.) | Acts (अधिनियम) | Sections (धारा(एँ)) |
|-----------------|------------------------------------|---------------------|
| 1 | IPC 1860 | 409 |
| 2 | IPC 1860 | 418 |
| 3 | PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988 | 13(1)(c) |
| 4 | PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988 | 13(1)d |
- (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Intervening Days Date from (दिनांक से): 21/03/2017 Date To (दिनांक तक): 30/03/2017

Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): 09:00 hrs Time To (समय तक): 17:00 hrs

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 07/07/2022 Time (समय): 14:00 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 015 Date and Time (दिनांक और समय): 07/07/2022 14:05 hrs
- Type of Information (सूचना का प्रकार): Written
- Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): EAST, 50 Km(s) Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): कौथ कलां,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):
- Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): निरीक्षक धर्मवीर सिंह

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1967 (d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	राज्य चौकसी ब्यूरो हिसार, SVB HISAR, STATE VIGILANCE BUREAU, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	राज्य चौकसी ब्यूरो हिसार, SVB HISAR, STATE VIGILANCE BUREAU, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	कुलदीप सिंह पटवारी			1. पटवारी तत्कालीन कौथ कलां,हाल पानीपतHANSI,HARYANA,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

श्रीमान जी, जांच क्रमांक 03 दिनांक 26.09.2017 हिसार महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, (ह0) पंचकुला के कार्यालय के पृष्ठ क्रमांक 12066-67/आई-3/एस0वी0बी0 (एच0) दिनांक 27.09.2017 शिकायतकर्ता देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री नफे सिंह वासी कौथ कलां व अन्य की शिकायत के आधार पर दर्ज रजिस्टर की गई थी। जिसकी जांच राज्य चौकसी ब्यूरो, हिसार मण्डल, हिसार द्वारा की गई। जिसमें मुख्य आरोप था कि कुलदीप पटवारी ने निम्नलिखित व्यक्तियों के खाते में पैसे डलवाये और फिर यह कहकर वापिस ले लिए की तुम्हारे खाते में गलती से ज्यादा पैसे डाल दिये हैं। (1) सुरेश के खाते में 60,700/- रुपये डाले गये तथा 30,300/- रुपये यह कह कर वापिस ले लिये गये कि तुम्हारे खाते में ज्यादा पैसे डाल दिये हैं। (2) महाबीर पुत्र बदलूराम के खाते में 23,000/- रुपये डाले गये तथा फिर 11,500/- रुपये वापिस ले लिये। (3) राजपति विधवा चन्द्रभान के खाते में 42,000/- रुपये डाले तथा 21,000/- रुपये वापिस लेकर गबन कर गया। उपरोक्त आरोप की पड़ताल के दौरान पाया गया कि वर्ष 2015 में नरमा कपास की फसल खराब होने के कारण सरकार द्वारा जिन किसानों की कपास की फसल खराब हुई थी उनको 7000/- रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजा देने का निर्णय लिया गया था। वर्ष 2016-2017 में नरमा कपास की फसल खराब होने पर गांव कोथ कला तहसील नारनौंद जिला हिसार के किसानों को मुआवजा दिया था। जांच के दौरान प्राप्त गिरदावरी रजिस्टर, A.P.R. फाईल, Excel सीट फाईल अनुसार सुरेश कुमार पुत्र दरिया सिंह वासी कौथ कलां के सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के खाता सख्यां 81030100035821 में दिनांक 21.03.2017 को 30,386/-रुपये तथा दिनांक 21.03.2017 को ही इसी खाता में 30,386/-रुपये की दो बार उपरोक्त खाता में 60,772/-रुपये कुलदीप सिंह तत्कालीन पटवारी हल्का कौथ कलां द्वारा डाले गये थे जो बाद में कुलदीप सिंह पटवारी द्वारा दिनांक 27.03.2017 को सुरेश कुमार से यह कहकर 30,886/-रुपये नकद वापिस ले लिये गये कि उसके खाते में गलती से फसल के मुआवजा की रकम दो बारा डाल दी गई है। इसी प्रकार महाबीर सिंह पुत्र बदलूराम वासी कौथ कलां के सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के खाता सख्यां 81031900007616 में दिनांक 21.03.2017 को 10,500/-रुपये तथा दिनांक 21.03.2017 को ही इसी खाता में 10,500/-रुपये कुल 21,000/-रुपये डाले जाने पाये गये हैं। महाबीर सिंह से भी यह बात कहकर कि उसके खाते में फसल के मुआवजा की रकम दो बार डाल दी गई है और कुलदीप सिंह पटवारी ने दिनांक 24.03.2017 को 10,500/-रुपये नकद वापिस ले लिये। इसी प्रकार राजपति विधवा चन्द्रपाल वासी कौथ कलां के सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के खाता सख्यां 81030100071577 में दिनांक 21.03.2017 को 21,743/-रुपये, दिनांक 29.03.2017 को 21,743/-रुपये व दिनांक 30.03.2017 को 21,743/-रुपये तीन बार कुल 65,229/-रुपये उपरोक्त खाता में डाल दिये गये। उपरोक्त मुआवजा राशी में से कुलदीप सिंह पटवारी ने राजपति विधवा चन्द्रपाल से 21,000/-रुपये दिनांक 04.04.2017 को नकद वापिस प्राप्त कर लिये जबकि राजपति विधवा चन्द्रपाल से 32,486/-रुपये प्राप्त करने चाहिए थे। इस प्रकार राजपति विधवा चन्द्रपाल से 22,486/-रुपये कम प्राप्त किये गये। इस प्रकार उपरोक्त तीनों किसानों से कुल 61,886/-रुपये कुलदीप सिंह पटवारी द्वारा वापिस प्राप्त करके अपनी जेब में डाल लिये तथा दिनांक 25.08.2017 को शिकायतकर्ता देवेन्द्र सिंह द्वारा इस बारे में शिकायत करने के बाद कुलदीप सिंह पटवारी द्वारा दिनांक 11.01.2018 को 61,900/-रुपये उप तहसीलदार नारनौंद के HDFC बैंक खाता नम्बर 50100169490379 में वापिस जमा करवा दिये। इसके अतिरिक्त कुलदीप सिंह पटवारी द्वारा राजपति विधवा चन्द्रपाल से केवल 21,000/-रुपये ही वापिस प्राप्त किये गये हैं जबकि उसके खाता में तीन बार फसल के मुआवजा की रकम 65,229/-रुपये डाली जानी पाई गई है। इस प्रकार राजपति विधवा चन्द्रपाल से बाकी बचे 22,486/-रुपये वापिस प्राप्त न करके कुलदीप पटवारी द्वारा सरकार को 22486/-रुपये का नुकसान पहुंचाया है तथा सुरेश कुमार पुत्र दरिया सिंह, महाबीर सिंह पुत्र बदलूराम व राजपति विधवा चन्द्रपाल से 61,886/- रुपये वापिस प्राप्त करके बदनियती से अपनी जेब में डालकर सरकार के पैसे का गबन करने की कोशिश की गई है। कुलदीप सिंह तत्कालीन पटवारी हल्का कौथ कलां हाल पटवारी पानीपत के खिलाफ जेर धारा 409, 418, भा0द0स0 व 13(1)(C)(D) r/w 13(2) पी0सी0एक्ट (अपराध के समय प्रचलित कानून) के तहत अभियोग दर्ज करने का सुझाव देकर जाँच की अन्तिम रिपोर्ट महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा, पंचकुला को भेजी गई। जांच की अन्तिम रिपोर्ट के परिक्षोपरान्त महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा, पंचकुला द्वारा अन्तिम रिपोर्ट पत्र क्रमांक 4903/रा0चौ0ब्यू0 (ह0) दिनांक 29.03.2022 को सरकार को भेजी गई। अब मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के यादि क्रमांक 60/50/2017-4 चौ (II) दिनांक 01.06.2022 की अनुपालना महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा, पंचकुला के पृष्ठंकन क्रमांक 10078/आई-3/एस0वी0बी0 (एच) दिनांक 23.06.2022 के अनुसार कुलदीप सिंह तत्कालीन पटवारी हल्का कौथ कलां हाल पटवारी पानीपत के खिलाफ जेर धारा 409, 418, भा0द0स0 व 13(1)(C)(D) r/w 13(2) पी0सी0एक्ट (अपराध के समय प्रचलित कानून) के तहत अभियोग दर्ज करने के आदेश प्राप्त होने पर तहरी हजा बराये कायमी मुकदमा आपके पास भेजी जा रही हैं अभियोग दर्ज करके नकल मिशल पुलिस व असल तहरीर, व आमदा रिकार्ड जांच क्रमांक 03 दिनांक 26.09.2017 हिसार कुल 08 फाईले मय गिरदावरी रजिस्टर आगामी अनुसंधान हेतु निरीक्षक सत्यपाल, राज्य चौकसी ब्यूरो, हिसार के पास भिजवाई जाये, प्रथम सूचना रिपोर्ट बजरियां ई-मेल/डाक ईलाका मैजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक हांसी, व अन्य सम्बन्धित उच्च अधिकारियों को भिजवाई जाये। SD हिन्दी(धर्मवीर) निरीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हिसार मण्डल हिसार। दिनांक 07.07.2022 अज थाना:- लेख हजा पर मुकदमा व जुर्म दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर नकल मिशल पुलिस मय असल लेख मय आमदा रिकार्ड कुल 08 फाईल बराये तफतीश निजद निरीक्षक सत्यपाल न.303/SPT राज्य चौकसी ब्यूरो, हिसार के पास भेजी जा रही हैं। नकुलात प्रथम सूचना रिपोर्ट की स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मजिस्ट्रेट हिसार व पुलिस अधीक्षक हांसी को बजरिया ई-मेल/डाक से भेजी जा रही है।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)
- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): SATYAPAL Rank (पद): I (Inspector)
No. (सं.): 303SPT to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)
- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना):

District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): JEET SINGH

Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendent of Police)

No. (सं.): DSP

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male					
						Is pox pitted: Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s)(आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)

